

समाचार जगत  
दिनांक 5/9/2023 पृष्ठ संख्या 5

28



## जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: ज.वि.प्रा./जनसम्पर्क/2023/डी-बी-170 आम सूचना दिनांक: 04.09.2023

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट- www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव आदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	प्लॉट नं.	ग.नि.सं.सं.लि./ योजना का नाम	आवेदक
01	8	एफ-1118	जयिप्रा की योजना गोविन्दपुरा, नाम हस्तान्तरण एवं पट्टे हेतु	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री श्री गौरी लाल
02	पीआरएन उल्लर (प्रथम)	ई-208 एवं ई-209	म्युचुअल हाउसिंग कॉ-ओपरेटिव सोसायटी लि. की योजना, तारा नगर-ई, फ्री होल्ड पट्टे हेतु	श्री नाथू लाल बागडा पुत्र श्री बदीनारायण एवं श्री गोपाललाल जाट पुत्र श्री राम नारायण जाट

### लोक सूचना

क्र.सं.	जोन	खसरा सं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	13	2846/2819	ग्राम-जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला-जयपुर में भूमि का संस्थानिक (अस्पताल/क्लिनिक/डिस्पेंसरी) प्रयोजन के उपयोग हेतु	राकेश सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह
2	9	414	ग्राम-बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर में भूमि का आवासीय उपयोग हेतु	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता एवं श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन

क्रमांक: जयिप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2485 दिनांक: 04.09.2023

### सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोरजपुरा के खसरा नम्बर 1045, 1046 / 1, 1047, 1048, 1050, 1053, 1166, 1167, 1214 / 1, 1411 कुल किता 10 कुल रकबा 4.1223 हेक्टर में से रकबा 36493.61 वर्गमीटर के खातेदार श्री गोपाल, जयनारायण, दिनेश चौधरी, भूरी देवी, भंवरलाल, रंगलाल, रामकंवार, सीताराम चौधरी, प्रभाती जाति जाट एवं श्रीमती गीता देवी जगदीश जाति स्वामी निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील माधोरजपुरा, जयपुर श्रीमती बदाम देवी एवं विमला देवी निवासी माधोरजपुरा, जिला जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक:जयिप्रा/उपा./जोन-8/2023/डी-3003 दिनांक: 04.09.2023

### सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट्स) योजना द्वितीय फेज हेतु अवासाधीन राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खाता संख्या 210 ( नया ) 201 (पुराना ) में खसरा नम्बर 894 रकबा 1.50 हेक्टेयर की एवज में 25 प्रतिशत ( 20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 3000 वर्ग मी. एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल 750 वर्ग मी. ) विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु खातेदार हनुमान सहाय शर्मा, रामनारायण शर्मा, बाबूलाल शर्मा एवं तीजा देवी द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

राज.सं.सं. / 48 / 20 / 4650

जलते दीप  
दिनांक..... पृष्ठ संख्या 6  
25/9/2023

29

## जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: ज.वि.प्रा./जनसम्पर्क/2023/डी-बी-170 आम सूचना दिनांक: 04.09.2023  
निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट- www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव आदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	भू.सं.	ग.नि.स.स.ति./ योजना का नाम	अवेदक
01	8	एफ-1118	जविप्रा की योजना गोविन्दपुरा, नाम हस्तान्तरण एवं पट्टे हेतु	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री श्रीरी लाल
02	पीआरएन उत्तर (प्रथम)	ई-208 एवं ई-209	म्युचुअल हाउसिंग कॉ-ओपरेटिव सोसायटी लि. की योजना, तारा नगर-ई, फ्री होल्ड पट्टे हेतु	श्री नाथू लाल बागड़ा पुत्र श्री बद्रीनारायण एवं श्री गोपाललाल जाट पुत्र श्री राम नारायण जाट

### लोक सूचना

क्र.सं.	जोन	खसरा सं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	13	2846/2819	ग्राम-जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला-जयपुर में भूमि का संस्थानिक (अस्पताल/क्लिनिक/डिस्पेंसरी) प्रयोजन के उपयोग हेतु	राकेश सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह
2	9	414	ग्राम-बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर में भूमि का आवासीय उपयोग हेतु	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता एवं श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2485 सार्वजनिक नोटिस दिनांक: 04.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 1045, 1046 / 1, 1047, 1048, 1050, 1053, 1166, 1167, 1214 / 1, 1411 कुल किता 10 कुल रकबा 4.1223 हेक्टर में से रकबा 36493.61 वर्गमीटर के खातेदार श्री गोपाल, जयनारायण, दिनेश चौधरी, भूरी देवी, भंवरलाल, रंगलाल, रामकंवार, सीताराम चौधरी, प्रभाती जाति जाट एवं श्रीमती गीता देवी जगदीश जाति स्वामी निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील माधोराजपुरा, जयपुर श्रीमती बदाम देवी एवं विमला देवी निवासी माधोराजपुरा, जिला जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-8/2023/डी-3003 सार्वजनिक नोटिस दिनांक: 04.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की टर्म्नल (वेस्ट वे हार्डट्स) योजना द्वितीय फेज हेतु अवासाधीन राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खाता संख्या 210 ( नया ) 201 (पुराना ) में खसरा नम्बर 894 रकबा 1.50 हेक्टेयर की एवज में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 3000 व.मी. एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल 750 व.मी.) विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु खातेदार हनुमान सहाय शर्मा, रामनारायण शर्मा, बाबूलाल शर्मा एवं तीजा देवी द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव